

74

To
The District Judge
122 Raebareli

Request-139

No 13604/IV-2503/ AdminA dated 29.8.07

Subject Regarding illigibility of an
officer to be Drawing and Disburs-
ing officer

Sir

With reference your endorsement NO.
247/E-5406 dated 23-3-2007 on the
above subject I am directed to say
that the application of Sri Gulab Singh
Civil Judge (Senior Division) Raebareli
which has been forwarded ^{whereas it} here to be
considered as D.D.O, has to be
dealt with at your own end in
view of the ~~letter~~ letter NO 1707/1e Pa-Pr
/Mise / Nyagik / 2003-04 dated 7.4.2007
of Addl Director, Treasury Alhabad
(copy enclosed) ^{kindly} to act upon
accordingly.

Encl - Copy of letter
dated 7.4.07 of Addl
Director (Treasury) Alhabad.

Yours faithfully

Assistant Registrar

Issue
21/8/07

123

No 13605/IV-2503/ AdminA dated 29.8.07

Copy forwarded to Sri Gulab Singh
Civil Judge (Senior Division) Raebareli
for information

Assistant Registrar

ARC(M)

May issue?

Pink
21/8/07

ARC(M)
May kindly
issue

21/8/07

888

73

Request - 134


Registrar 'B'

May kindly peruse the instant letter dated 23.3.2007, of one Shri Gulab Singh, Civil Judge Senior Division, at present posted at Rai Baranji Judgeship, duly forwarded District Judge vide its endorsement no 247/E-54-06 dated 23.3.2007, where in Sri Gulab Singh has prayed to be authorized as drawing and disbursing Authority as he has completed his ^{above} five years service in U.P. Judicial Service.

In view of the above, if approved the aforesaid letter dated 23.3.07 of Sri Gulab Singh may be transmitted to the District Judge Rai Baranji to do the needful as per provision laid down in this regard vide Gov. letter no 1707/24040/2112403/2003-04 dated 7.4.2004, copy enclosed.

To pass any other and further order in the light of above facts and subject matter to enable the Office to do the needful accordingly.

Submitted for approval/orders as proposed / at - A + B above.


17/8/07

If approved, the letter dated 23-3-07 of Sri Gulab Singh C.T. SD. Rai Baranji may be forwarded to D-7. Rai Baranji to do the needful accordingly and Mr. Gulab Singh may also be informed.

पत्रांक 4707 /वेप0प्र0/विविध/न्यायिक/2003-04

प्रभक,

अपर निदेशक कोषागार
शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय, 30प्र0,
नवीन कोषागार भवन, प्रथम तल, कचेहरी रोड, इलाहाबाद ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0,
2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चक, अनुभाग, 30प्र0, शासन लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद/श्री राज्यपाल सचिवालय, 30प्र0, लखनऊ ।

दिनांक: 4707 अप्रैल, 2004

विषय 30प्र0, वित्त/न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों एवं समूह 'क' की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतन प्राधिकार पत्र के आधार पर देयको के पारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0शासन वित्त(लेखा)अनुभाग-1 लखनऊ के आदेश सं0 सी-1-2901/दस-87 -5 (8)/76 दिनांक 06.01.88 तथा आदेश सं0 ए-1-1565/दस-88-5(8)/76 दिनांक 22.02.89 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 30प्र0 वित्त एवं लेखा/न्यायिक /उच्चतर न्यायिक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों आदि के लिए आहरण एवं भुगतान के लिए इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने वेतन भत्तों आदि समस्त दावों का आहरण स्वयं (Self Drawing officer के रूप में) किये जाने के आदेश दिये गये हैं । उपर्युक्त व्यवस्था के अधीन समूह 'क' के ऐसे अधिकारियों जिनके गैरपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम ₹0 1720/-, पुनरीक्षित ₹0 4000/-नवीन पुनरीक्षित ₹0 13500/-से अधिक है, के वेतन भत्तों आदि समस्त दावों का आहरण करने के लिए (संबंधित अधिकारी की सेवा अवधि के देयों के आहरण हेतु), उनकी सेवा अवधि में अथवा सेवा से निवृत्त होने पर उनके पक्ष में प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है जिसकी मात्र एक पृष्ठांकन प्रति संबंधित कोषागार को इस कार्यालय द्वारा निर्गत की जाती है जिसके आधार पर संबंधित अधिकारी अपने देयों का आहरण 'स्वयं आहरण अधिकारी' के रूप में करते हैं ।

कतिपय स्तर से यह प्रकाश में आया है कि समूह 'क' के ऐसे अधिकारियों जो उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं आहरण अधिकारी हैं, उनके सेवा निवृत्त की स्थिति में उनके सेवावधि के देयों के भुगतान हेतु उनके पक्ष में निर्गत वेतन प्राधिकार पत्र के आधार पर जब वे 'स्वयं आहरण अधिकारी' के रूप में अपने देयको प्रस्तुत करते हैं तो कतिपय कोषागार द्वारा उनके ऐसे देयको को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जिसके कारण स्थिति जटिल और समस्यामूलक हो जाती है ।

कमरा:.....2पर

(2)

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि संबन्धित शासनादेश की व्यवस्था के अधीन समूह 'क' के उपर्युक्त अधिकारी, जो स्वयं आहरण अधिकारी घोषित किये गये हैं, अपने सेवानिवृत्त के पश्चात् भी सेवा अवधि के देयों के आहरण हेतु वे स्वयं आहरण अधिकारी बने रहते हैं, उनके इस अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता और न ही उनके देयों के भुगतान हेतु कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागीय स्थापना द्वारा आहरण की व्यवस्था होगी। तदनुसार समूह 'क' की सेवा से सेवानिवृत्त उपर्युक्त अधिकारियों के मामले में उनके देयकों के भुगतान के निमित्त देयकों के पारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

(श्रीमती पी०एस०मोहन कर)
अपर निदेशक कोषागार।

प्र०य०सं० 4/2003/वे०प०प्र०/विविघ/2003-04

तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/निबंधक, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।
 2. समस्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

(श्रीमती पी०एस०मोहन कर)
अपर निदेशक कोषागार।

70

R.B. No 2-4-07

5-4-07

Request-139

प्रेषक,

गुलाब सिंह,
सिविल जज सी. डिवी.,
रायबरेली ।

Register No. 5317

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

17-4-07

IV/2-503

116

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली ।

1-8-07

24-11-07

D

27-4-07

पत्रांक:

दिनांक :

विषय:

स्वयम् आहरण अधिकारी प्राधिकृत किए जाने
के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त संदर्भ में मुझे विनम्र निवेदन करना है कि
माननीय न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1412 डी0आर0
एस0/2006 दिनांक 05.08.2006 द्वारा मेरा स्थानान्तरण
अपर सिविल जज जू. डिवी. बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर से
प्रोन्नति के पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं013,
रायबरेली में हो गया है । वर्तमान में मैं सिविल जज सी. डिवी. रायबरेली के पद पर कार्यरत हूँ । मैं दिनांक 23.03.2001 से न्यायिक सेवा में कार्यरत हूँ । इस प्रकार मेरी सेवा 5 वर्ष से अधिक की हो गयी है।

J.R. (S)
Mk Regr Gen-
07-04-07

रायबरेली जजशिप
संख्या 247/IS4-06 दि.
23-3-07
अप्रसारित

जनपद न्यायाधीश
रायबरेली
23-3-07

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्वयम् आहरण
अधिकारी अधिकृत किए जाने हेतु मेरे इस आवेदनपत्र को
माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ रखे
जाने की कृपा करें ।

सम्मान सहित ।

दिनांक 23.03.2007

भवदीय,
गुलाब सिंह
सिविल जज सी. डिवी.,
रायबरेली ।

PS to R.G.
Alden
6-4-2007

15

Handwritten signatures and dates

S.O. (A) H

Handwritten signatures and dates

J.R. (S)
9-4-07

Handwritten signatures and dates

31

So Adm H.

May kindly go through

the letter, which relates

to ~~the~~ S.O. (S)

and ~~the~~ S.O. (S) ~~is~~ at

the earliest possible

to be dealt with

accordingly

[Signature]

14/5/07

So Adm H.

The file was sent to

you on 14/5/07 with

the request to send it

to Coaf Secy.

[Signature]
10/8/07

Sent to
S.O. (S)

to deal with
the same

[Signature]

13/6/07

17-4-07 51-5123

(69) R.B. on 2.4.07
5.4.07

Request-139

प्रेषक,

गुलाब सिंह,
सिविल जज सी. डिवी. §,
रायबरेली ।

Register No. 5317

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

17.4.07 IV/2503
116

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली ।

24.4.07
27.4.07

पत्रांक:

दिनांक :

विषय: स्वयम् आहरण अधिकारी प्राधिकृत किए जाने
के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त संदर्भ में मुझे विनम्र निवेदन करना है कि
माननीय न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1412 डी0आर0
§एस0§/2006 दिनांक 05.08.2006 द्वारा मेरा स्थानान्तरण
अपर सिविल जज §जू. डिवी. § बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर से
प्रोन्नति के पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं013,
रायबरेली में हो गया है । वर्तमान में मैं सिविल जज §सी. डिवी. §
रायबरेली के पद पर कार्यरत हूँ । मैं दिनांक 23.03.2001
से न्यायिक सेवा में कार्यरत हूँ । इस प्रकार मेरी सेवा 5 वर्ष

से अधिक की हो गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्वयम् आहरण
अधिकारी अधिकृत किए जाने हेतु मेरे इस आवेदनपत्र को
माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ रखे
जाने की कृपा करें ।

सम्मान सहित ।

दिनांक 23.03.2007

भवदीय,
गुलाब सिंह
सिविल जज सी. डिवी. §,
रायबरेली ।

S.O. (Admin-A) H

J.K. (B)
9.4.07

M. S. S. S.
28/4/07

J.R. (S)

Mk Reg. Gen.
07-04-07

रायबरेली न्यायाधीश
संख्या 247/IS-4-06 दि.
23-3-07

अनसंखित

जनपद न्यायाधीश
रायबरेली
23-3-07

~~Prato R. C.~~

Prato R. C.
6-4-2007

(15)

S.O.S.

(M. S. S. S.)

31

So Adm H.

May kindly go through
the letter, which relates
to Conf Sec. pt.
said of - Conf Sec of -
the earliest possible
to be dealt with
accordingly

Healy
14650